

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

नाना पिता धन्ना गुर्जर नि. गलिया  
बनाम

कैलाशचन्द्र पिता नंदा भील नि. तिख्या का झूपडा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए.

मुकदमा नं. 767/23

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुक्म की  
तारीख में जारी हुये

05.07.23

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम खेरुणा प. ह. टीटोड़ा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 778/4 रकबा 3.4992 हेक्टेयर, आ. न. 1026/916 रकबा 2.1600 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्द में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम खेरुणा प. ह. टीटोड़ा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 778/4 रकबा 3.4992 हेक्टेयर, आ. न. 1026/916 रकबा 2.1600 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 5 .07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक/रीडर/2023/767/2023

दिनांक :- 5.07.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 767/2023 अनवान नाना पिता धन्ना गुर्जर नि. गलिया बनाम कैलाशचन्द्र पिता नंदा भील नि. तिख्या का झूपड़ा, हरलाल पिता छगना मीणा नि. खेरुणा, गणेश पिता देबीलाल मीणा नि. खेरुणा, सत्यनारायण पिता तेजू गुर्जर नि. बेई, शानकर लाल पिता रुग्गा मीणा नि. श्यामगढ़, मथरालाल पिता जीवण मीणा नि. श्यामगढ़, बालू पिता रुगा नाई नि. खेरुणा, शिवराज पिता कैलाश चन्द्र व्यास नि. श्यामगढ़, तहसीलदार वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम खेरुणा प. ह. टीटोड़ा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 778/4 रकबा 3.4992 हेक्टेयर, आ. न. 1026/916 रकबा 2.1600 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)